**भारतसरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2516**

**उत्तर देने की तारीख 08.08.2018**

**कुटीर उद्योगों की दशा**

**2516. श्रीरंजिबबिस्वालः**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेष कर ओडिशा में, कुटीर उद्योग की दशा खराब हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ओडिशा सहित राज्य/संघराज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) ओडिशा सहित देश में कुटीर उद्योग को पुनरूज्जीवित करने तथा उसको बढ़ावा देने के

लिए सरकार द्वारा किए गए / किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की इस राज्य के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक कुटीर उद्योग

स्थापित करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार)**

**(श्री गिरिराज सिंह)**

**(क): जी, नहीं।**

**(ख): प्रश्न नहीं उठता।**

**(ग) से (ङ):** कुटीर उद्योग को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कुटीर उद्योग की व्यापक रूपरेखा सीधे खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के ग्रामोद्योग के अंतर्गत कवर होती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्रामोद्योगों को इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए सात समूहों के अंतर्गत विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नानुसार हैं:

1. **कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)**में उद्योगों नामतः दाल एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, गुड़ और खांडसारी उद्योग, पामगुड़ उद्योग, फल एवं वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग, ग्राम तेल उद्योग इत्यादि शामिल हैं।

2. **वन आधारित उद्योग (एफबीआई)**में उद्योग नामतः औषधीय पौधे उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, लघु वन आधारित उद्योग इत्यादि शामिल हैं।

3. **हस्तनिर्मित कागज और फाईबर उद्योग (एचएमपीएफआई)**में उद्योग नामतः हस्तनिर्मित कागज उद्योग, फाईबर उद्योग इत्यादि शामिल हैं।

4. **खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)** में उद्योग नामतः मिट्टी के बर्तन, चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पाद, पत्थर कटाई एवं नक्काशी इत्यादि शामिल हैं।

5. **पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग (पीसीबीआई)** में उद्योग नामतः चमड़ा उद्योग, अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग, डिटर्जेंट पाऊडर, मोमबत्ती बनाना, कुटरी माचिस उद्योग, प्लास्टिक उद्योग इत्यादि शामिल हैं।

6. **ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईबीटीआई)**में उद्योग नामतः गैर-परंपरागत ऊर्जा, बायोगैस संयंत्र, कारपेंट्री एवं ब्लैकस्मिथ, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि शामिल हैं।

7. **सेवा और वस्तर उद्योग (एसटीआई)**में उद्योग नामतः इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली उपकरणों की मरम्मत करना, मशीनों की मरम्मत करना, प्लम्बिंग और अन्य सेवा कार्य, स्वेटर होजरी, बैंड एड क्लॉथ और अन्य वस्त्र उत्पाद इत्यादि शामिल हैं।

इन ग्रामीण उद्योग उप-क्षेत्रों की अधिकतर गतिविधियों को कुटीर उद्योगों के अंतर्गत शुरू की गई गतिविधियों को कवर किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत यह देखा जा सकता है कि प्रतिवर्ष उद्यमों को सृजित किया जाता है जिसके लिए मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। ग्रामोद्योगों का बड़ा भाग पीएमईजीपी के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी, राज्यखादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है।सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा /अजजा /महिलाओं /शारीरिक रूप से विकलांगों /अल्पसंख्यकों/ भूतपूर्वसैनिकों/ पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

कयर बोर्ड द्वारा कयर उद्योग की बहु विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **कयर विकास योजना** कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत इंटरवेंशनों को 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान शुरू किया जाता है।

1. इस स्कीम के अंतर्गत बाजार विकास सहायता (एमडीए) एक घटक है जो कयर उद्योग के विकास के लिए और कयर उत्पादों के विपणन को सुधारने हेतु राज्य सरकारों के माध्यम से कयर इकाइयों को सहायता प्रदान करता है। कयर इकाइयों को पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान औसत बिक्री की 10% सी सहायता प्रदान की जाती है।

2.कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई): उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों, एक्सपोजर दौरे, आदि के माध्यम से कयर उत्पादन एवं प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं में कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य है। महिला कयर योजना के अंतर्गत बेरोजगार महिलाओं को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला कयर योजना के अंतर्गत ईडीपी, राष्ट्रीय संगोष्ठियों, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, एक्सपोजर दौरे भी महिला कयर योजना के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। उपकरणों/मशीनरियों के प्रापण(प्रोक्यूरमेंट) के लिए वित्तीय सहायता कयर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना के अंतर्गत एनएसक्यूएफ अनुपालन के मानकों के अधीन प्रशिक्षकों के लिए 15,000/- रूपए प्रतिमाह तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए 3,000/- रूपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में रखा जाएगा।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य सहित देश में पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत आबंटित एवं प्रयुक्त मार्जिन मनी, सृजित रोजगार और स्थापित इकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय परंपरागत उद्योगों और कारीगरों का क्लस्टरों में संगठित करके परंपरागत उद्योग को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना (सीएफसी), उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इयादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की जाती है। मंत्रालय ने 72 क्लस्टरों को अनुमोदित किया है जिनमें से 36 आज की तारीख में कार्यात्मक हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान स्कीम को जारी रखने के लिए मूल्यांकन और अनुमोदित किया गया है जिसके लिए 350 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

12वीं योजना अवधि से ओडिसा राज्य सहित देश भर में विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत स्फूर्ति क्लस्टरों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

दिनाक 08.08.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.2516 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

**वर्ष** 2015-16 **के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **आबंटित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी**(लाख रु. में) | **प्रयुक्त की गई मार्जिन मनी सब्सिडी#** (लाख रु. में) | **सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या** | **सृजित अनुमानित रोजगार****(व्यक्तियों की सं.)** |
| 1 | जम्मू और कश्मीर | 4006.80 | 3781.19 | 2207 | 12115 |
| 2 | हिमाचलप्रदेश | 1721.57 | 1767.26 | 1077 | 5134 |
| 3 | पंजाब | 3026.80 | 2902.97 | 966 | 7762 |
| 4 | संघ राज्य क्षेत्रचंडीगढ़ | 90.00 | 87.72 | 43 | 323 |
| 5 | उत्तराखंड | 1909.93 | 1740.86 | 1136 | 6161 |
| 6 | हरियाणा | 3747.40 | 3112.09 | 1248 | 7232 |
| 7 | दिल्ली | 257.35 | 254.05 | 256 | 2048 |
| 8 | राजस्थान | 4188.14 | 4384.07 | 1988 | 14537 |
| 9 | उत्तरप्रदेश | 17535.32 | 14456.87 | 4365 | 43059 |
| 10 | बिहार | 7118.59 | 6588.55 | 2430 | 19624 |
| 11 | सिक्किम | 227.38 | 186.11 | 110 | 397 |
| 12 | अरुणाचलप्रदेश | 200.08 | 38.85 | 35 | 104 |
| 13 | नगालैंड | 1255.83 | 1392.81 | 623 | 4998 |
| 14 | मणिपुर | 2855.92 | 1213.98 | 685 | 2715 |
| 15 | मिजोरम | 924.99 | 1026.35 | 1134 | 9072 |
| 16 | त्रिपुरा | 2748.26 | 945.84 | 642 | 5355 |
| 17 | मेघालय | 1250.62 | 1056.12 | 603 | 4824 |
| 18 | असम | 4969.87 | 2869.74 | 3483 | 9026 |
| 19 | पश्चिमबंगाल | 4765.49 | 3400.65 | 1873 | 12746 |
| 20 | झारखंड | 3462.64 | 3559.74 | 1839 | 12873 |
| **21** | ओडिशा | **6282.00** | **5736.32** | **2876** | **17629** |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 4303.80 | 2829.38 | 1277 | 9496 |
| 23 | मध्यप्रदेश | 7729.40 | 8117.17 | 1979 | 16497 |
| 24 | गुजरात\* | 6536.16 | 6339.73 | 1419 | 14960 |
| 25 | महाराष्ट्र \*\* | 9718.42 | 5285.03 | 2497 | 20161 |
| 26 | आंध्रप्रदेश | 4496.85 | 2262.37 | 642 | 7740 |
| 27 | तेलंगाना | 2094.00 | 2217.57 | 660 | 7761 |
| 28 | कर्नाटक | 10846.89 | 5898.01 | 2140 | 17284 |
| 29 | गोवा | 159.40 | 165.43 | 91 | 500 |
| 30 | लक्षद्वीप | 90.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | केरल | 2731.60 | 2720.48 | 1369 | 9653 |
| 32 | तमिलनाडु | 7110.80 | 5497.54 | 2463 | 20836 |
| 33 | पुडुचेरी | 100.00 | 106.37 | 65 | 447 |
| 34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 158.00 | 65.11 | 119 | 293 |
|  | **कुल** | **128620.30** | **102006.33** | **44340** | **323362** |

 # पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

 \* दमण और दीव सहित

 \*\* दादरा एवं नगर हवेली सहित

**वर्ष** 2016-17**के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **आबंटित की गई** **मार्जिन मनी** **सब्सिडी**(लाख रु. में) | **प्रयुक्त की गई** **मार्जिन मनी सब्सिडी#** (लाख रु. में) | **सहायता प्राप्त परियोजनाओं** **की संख्या** | **सृजित अनुमानित रोजगार****(व्यक्तियों की सं.)** |
| 1 | जम्मू-कश्मीर | 3541.26 | 2621.40 | 1492 | 11691 |
| 2 | हिमाचलप्रदेश | 1970.11 | 2185.27 | 941 | 6916 |
| 3 | पंजाब | 3504.09 | 3181.60 | 1266 | 9858 |
| 4 | संघ राज्य क्षेत्रचंडीगढ़ | 100 | 82.84 | 47 | 376 |
| 5 | उत्तराखंड | 2140.93 | 2122.33 | 1345 | 9890 |
| 6 | हरियाणा | 3371.31 | 3383.53 | 1377 | 11016 |
| 7. | दिल्ली | 300 | 182.41 | 119 | 952 |
| 8 | राजस्थान | 5500.99 | 4641.6 | 1749 | 13408 |
| 9 | उत्तरप्रदेश | 12981.52 | 14271.05 | 4074 | 36315 |
| 10 | बिहार | 6909.77 | 8336.51 | 3234 | 25872 |
| 11 | सिक्किम | 200 | 35.93 | 27 | 201 |
| 12 | अरुणाचलप्रदेश | 500 | 440.34 | 301 | 1984 |
| 13 | नगालैंड | 1751.68 | 2007.48 | 1018 | 7783 |
| 14 | मणिपुर | 1741.7 | 2162.78 | 1265 | 8419 |
| 15 | मिजोरम | 1253.49 | 491.96 | 425 | 3400 |
| 16 | त्रिपुरा | 1578.62 | 3734.66 | 2297 | 17961 |
| 17 | मेघालय | 1748.1 | 407.89 | 329 | 2632 |
| 18 | असम | 5636.41 | 4910.38 | 6028 | 31498 |
| 19 | पश्चिमबंगाल | 3680.3 | 6270.32 | 3528 | 26604 |
| 20 | झारखंड | 4165.73 | 2654.35 | 1300 | 10400 |
| **21** | ओडिशा | **5201.65** | **6848.96** | **3029** | **20392** |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 4493.3 | 4070.73 | 1598 | 12856 |
| 23 | मध्यप्रदेश | 8527.32 | 8346.06 | 1940 | 15520 |
| 24 | गुजरात\* | 5398.45 | 7561.61 | 1386 | 11629 |
| 25 | महाराष्ट्र \*\* | 6111.29 | 6001.36 | 2325 | 17799 |
| 26 | आंध्रप्रदेश | 2336.59 | 4916.08 | 1357 | 14148 |
| 27 | तेलंगाना | 2004.86 | 2561.72 | 664 | 6445 |
| 28 | कर्नाटक | 4941.62 | 11609.56 | 3575 | 30286 |
| 29 | गोवा | 371.62 | 191.44 | 90 | 660 |
| 30 | लक्षद्वीप | 50 | 00 | 00 | 00 |
| 31 | केरल | 2446.06 | 3350.68 | 1584 | 13068 |
| 32 | तमिलनाडु | 5291.23 | 8213.92 | 2941 | 25764 |
| 33 | पुडुचेरी | 150 | 103.65 | 66 | 699 |
| 34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 100 | 193.46 | 195 | 1398 |
|  | **कुल** | **110000** | **128093.86** | **52912** | **407840** |

 # पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

 \* दमण और दीव सहित

 \*\* दादरा एवं नगर हवेली सहित

**वर्ष** 2017-18**के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **आबंटित की गई मार्जिन मनी** **सब्सिडी**(लाख रु. में) | **प्रयुक्त की गई** **मार्जिन मनी** **सब्सिडी#** (लाख रु. में) | **सहायता प्राप्त परियोजनाओं****की संख्या** | **सृजित अनुमानित रोजगार****(व्यक्तियों की सं.)** |
| 1 | जम्मू-कश्मीर | 3272.84 | 6913.15 | 3753 | 30024 |
| 2 | हिमाचलप्रदेश | 1785.19 | 2042.5 | 886 | 7088 |
| 3 | पंजाब | 3272.84 | 3930.46 | 1520 | 12160 |
| 4 | संघ राज्य क्षेत्रचंडीगढ़ | 100.00 | 90.07 | 45 | 360 |
| 5 | उत्तराखंड | 1933.95 | 2880.98 | 1613 | 12904 |
| 6 | हरियाणा | 3272.84 | 4167.04 | 1718 | 13744 |
| 7. | दिल्ली | 300.00 | 150.65 | 115 | 920 |
| 8 | राजस्थान | 4909.26 | 4929.04 | 1577 | 12614 |
| 9 | उत्तरप्रदेश | 11157.41 | 16866.47 | 5432 | 43456 |
| 10 | बिहार | 5653.09 | 6558.85 | 2307 | 18456 |
| 11 | सिक्किम | 200.00 | 46.36 | 37 | 296 |
| 12 | अरुणाचलप्रदेश | 500.00 | 309.42 | 209 | 1672 |
| 13 | नगालैंड | 1728.96 | 2672.15 | 930 | 7440 |
| 14 | मणिपुर | 1434.32 | 1383.87 | 600 | 4800 |
| 15 | मिजोरम | 1245.66 | 274.05 | 249 | 1992 |
| 16 | त्रिपुरा | 1283.75 | 1892.3 | 1116 | 8928 |
| 17 | मेघालय | 1720.32 | 118.27 | 75 | 600 |
| 18 | असम | 5351.99 | 2362.48 | 2282 | 18256 |
| 19 | पश्चिमबंगाल | 2975.31 | 3891.37 | 1366 | 10928 |
| 20 | झारखंड | 3570.37 | 2439.53 | 1111 | 8888 |
| **21** | ओडिशा | **4462.97** | **5680.65** | **2399** | **19192** |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 4016.67 | 3398.4 | 1463 | 11704 |
| 23 | मध्यप्रदेश | 7587.04 | 7631.41 | 1804 | 14432 |
| 24 | गुजरात\* | 4909.26 | 12883.63 | 1876 | 15008 |
| 25 | महाराष्ट्र \*\* | 5355.56 | 8749.73 | 3329 | 26632 |
| 26 | आंध्रप्रदेश | 1933.95 | 5336.1 | 1527 | 12216 |
| 27 | तेलंगाना | 4611.73 | 4030.21 | 1190 | 9520 |
| 28 | कर्नाटक | 4462.97 | 6477.94 | 2115 | 16920 |
| 29 | गोवा | 297.53 | 149.07 | 50 | 400 |
| 30 | लक्षद्वीप | 100.00 | 00 | 00 | 00 |
| 31 | केरल | 2082.72 | 2910.44 | 1347 | 10776 |
| 32 | तमिलनाडु | 4760.50 | 9717.58 | 4095 | 32760 |
| 33 | पुडुचेरी | 100.00 | 78.95 | 44 | 352 |
| 34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 100.00 | 276.95 | 218 | 1744 |
|  | **कुल** | **100449** | **131240.07** | **48398** | **387184** |

 # पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

 \* दमण और दीव सहित

 \*\* दादरा एवं नगर हवेली सहित

**वर्ष** 2018-19**के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति** (30.06.2018**की स्थिति के अनुसार**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **आबंटित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी**(लाख रु. में) | **प्रयुक्त की गई मार्जिन मनी सब्सिडी#** (लाख रु. में) | **सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या** | **सृजित अनुमानित रोजगार****(व्यक्तियों की सं.)** |
|
|
|
|
| 1 | अंडमान और निकोबारद्वीपसमूह | 188.64 | 50.85 | 37 | 296 |
| 2 | आंध्रप्रदेश | 3742.74 | 1489.96 | 392 | 3136 |
| 3 | अरुणाचलप्रदेश | 471.6 | 153.84 | 104 | 832 |
| 4 | असम | 10507.7 | 1153.43 | 1112 | 8896 |
| 5 | बिहार | 10869.49 | 1981.22 | 733 | 5864 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 6339.11 | 1398.19 | 752 | 6016 |
| 7 | दिल्ली | 282.96 | 8.19 | 5 | 40 |
| 8 | गोवा | 605.15 | 19.32 | 4 | 32 |
| 9 | गुजरात\* | 7501.95 | 3271.57 | 454 | 3632 |
| 10 | हरयाणा | 4664.1 | 799.23 | 341 | 2728 |
| 11 | हिमाचलप्रदेश | 2711.4 | 312.42 | 127 | 1016 |
| 12 | जम्मू-कश्मीर | 4745.12 | 2000.27 | 1111 | 8888 |
| 13 | झारखंड | 6193.49 | 731.05 | 308 | 2464 |
| 14 | कर्नाटक | 6939.66 | 1925.29 | 695 | 5560 |
| 15 | केरल | 3667.38 | 952.24 | 464 | 3712 |
| 16 | लक्षद्वीप | 47.16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | मध्यप्रदेश | 11952.9 | 1200.25 | 304 | 2432 |
| 18 | महाराष्ट्र \*\* | 8833.6 | 2522.06 | 1093 | 8744 |
| 19 | मणिपुर | 2544.19 | 317.99 | 196 | 1568 |
| 20 | मेघालय | 2653.7 | 90.19 | 66 | 528 |
| 21 | मिजोरम | 2045.45 | 242.31 | 178 | 1424 |
| 22 | नगालैंड | 2825.5 | 310.2 | 154 | 1232 |
| **23** | ओडिशा | **7719.19** | **1691.83** | **773** | **6184** |
| 24 | पुडुचेरी | 141.48 | 9.66 | 6 | 48 |
| 25 | पंजाब | 4617.17 | 678.86 | 309 | 2472 |
| 26 | राजस्थान | 7743.65 | 1563.39 | 542 | 4336 |
| 27 | सिक्किम | 188.64 | 11.29 | 5 | 40 |
| 28 | तमिलनाडु | 7438.88 | 1204.57 | 574 | 4592 |
| 29 | तेलंगाना | 7250.96 | 555.88 | 186 | 1488 |
| 30 | त्रिपुरा | 1965.99 | 453.34 | 233 | 1864 |
| 31 | यूटीचंडीगढ़ | 94.32 | 15.66 | 7 | 56 |
| 32 | उत्तरप्रदेश | 19171.59 | 5147.15 | 1559 | 12472 |
| 33 | उत्तराखंड | 2975.4 | 950.81 | 581 | 4648 |
| 34 | पश्चिमबंगाल | 6423.74 | 1468.1 | 478 | 3824 |
|   | कुल | **166064** | **34680.61** | **13883** | **111064** |

# पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

 \* दमण और दीव सहित

 \*\* दादरा एवं नगर हवेली सहित

**अनुबंध-II**

दिनांक**08.08.**2018 केराज्य सभाअतारांकितप्रश्नसंख्या 2516 केभाग (ग)से (ङ)केउत्तरमेंउल्लिखितअनुबंध-II

स्फूर्ति क्लस्टरों की राज्यवार सूची (31.03.2018 तक)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रं.सं.** | **राज्य** | **जिला** | **नाम/उत्पाद** | **श्रेणी** | **स्वीकृत राशि (रु. लाख में)** |
|  | आंध्रप्रदेश | चित्तूर | कलामकारीउत्पाद | हस्तशिल्प | 121.49 |
|  | आंध्रप्रदेश | विजयनगरम | कयरगद्दे | कयरउत्पादों | 266.58 |
|  | आंध्रप्रदेश | चित्तूर | कयरउत्पाद | कयरउत्पादों | 112.03 |
|  | आंध्रप्रदेश | कृष्णा | पेडानाकलामकारीचित्रकारी | हस्तशिल्प | 261.00 |
|  | आंध्रप्रदेश | कृष्णा | कोंडापल्लीलकड़ीकेखिलौने | हस्तशिल्प | 132.85 |
|  | असम | माजुली | माजुली | हस्तशिल्प | 137.30 |
|  | असम | बारपेटा | धातुकेबर्तन | हस्तशिल्प | 143.99 |
|  | असम | मानस | हैंडलूमड्रेस | हथकरघा | 140.5 |
|  | असम | मिर्जा | हैंडलूमड्रेस | हथकरघा | 143.99 |
|  | असम | मोरन | हथकरघा | हथकरघा | 211.76 |
|  | बिहार | मधुबनी | चित्रकारी | हस्तशिल्प | 147.89 |
|  | बिहार | रोहतास | मिट्टीकेबर्तनों | हस्तशिल्प | 127.87 |
|  | छत्तीस | रायपुर | सूखेफूल | हस्तशिल्प | 93.15 |
|  | छत्तीसगढ़ | बस्तर | डोकाहस्तशिल्प | हस्तशिल्प | 98.03 |
|  | गुजरात | बारडोली | लोहार | हस्तशिल्प | 118.57 |
|  | गुजरात | बनासकांठा | संवेदना | कयरहस्तशिल्प | 149.99 |
|  | हरयाणा | पानीपत | मल्टीकाफ्टक्लस्टर | हस्तशिल्प | 122.29 |
|  | जम्मूऔरकश्मीर | अनंन्तनाग | क्रूरलकढ़ाई | हस्तशिल्प | 380.00 |
|  | जम्मूऔरकश्मीर | बडगाम | कढ़ाई | हस्तशिल्प | 375.00 |
|  | जम्मूऔरकश्मीर | श्रीनगर | शहद | शहद | 299.80 |
|  | झारखंड | गुमला | शहदऔरखाद्यप्रसंस्करण | शहद | 254.24 |
|  | झारखंड | संथाल परगना | खादी | खादी | 150 |
|  | झारखंड | कोडरमा | अगरबत्ती | अन्य | 127.44 |
|  | कर्नाटक | दावणगेरे | हरिहरखादी | खादी | 130.5 |
|  | कर्नाटक | बेलगाम | हुडलीखादी | खादी | 132.82 |
|  | कर्नाटक | चिकबालारपुर | सिधलगट्टाखादी | खादी | 132.03 |
|  | कर्नाटक | बीदर | लकड़ी | लकड़ीकासामान | 145.37 |
|  | कर्नाटक | हसन | हरलाकाट्टाकोयूरउत्पाद | कोइरपिथब्लॉकऔरखपतऔरअन्य | 148.54 |
|  | कर्नाटक | तुमकुर | तुमकुर | कयरपिथब्लॉक, खाद, रबराइज्डकयर, फर्नीचर | 740.86 |
|  | कर्नाटक | उत्तरकन्नड़ | कुमटा | कयरउत्पाद | 149.36 |
|  | केरल | नेयातिकरा | कटक्कडा | कयरफर्नीचर | 144.08 |
|  | केरल | बलुसेरी | बालूसेरी | कयरउत्पाद | 109.02 |
|  | केरल | अलप्पूझा | हरीपाद | कयरयार्नऔरफाइबर | 284.03 |
|  | केरल | त्रिरूर | शुद्धनारियलतेल | अन्य | 245.89 |
|  | मध्य | होशंगाबाद | बांस | बांस | 149.44 |
|  | मध्यप्रदेश | जोबट | प्राकृतिकडाई | अन्य | 112.65 |
|  | महाराष्ट्र | सिंधुदुर्ग | बांस | बांस | 149.89 |
|  | महाराष्ट्र | बीड | बंजाराहस्तशिल्प | हस्तशिल्प | 98.09 |
|  | महाराष्ट्र | सावंतवाडी | सावंतवाडी | कयरउत्पाद | 149.34 |
|  | महाराष्ट्र | पेन्डूर | पेन्डूर | कयरउत्पाद | 149.34 |
|  | मणिपुर | निंगोमथोंग | बांस, रीड | बांस | 135.75 |
|  | ओडिशा | गंजम | बेलधातुहस्तशिल्प | हस्तशिल्प | 121.20 |
|  | ओडिशा | मयूरभंज | गैरइमारतीलकड़ीवनउत्पाद (बांस) | एनटीएफपी | **159.36** |
|  | ओडिशा | खुर्दा | फलऔरसब्जियांप्रसंस्करण | अन्य | **132.05** |
|  | ओडिशा | बालासोर | पत्थरनक्काशीहस्तशिल्प | हस्तशिल्प | **235.15** |
|  | प्रदेश | बेतुल | बर्तन/टेराकोटा | हस्तशिल्प | 148.55 |
|  | पंजाब | भटिंडा | शहद | शहद | 265.24 |
|  | पंजाब | होशियारपुर | लकड़ीकीजड़औरलाख | लकड़ीकासामान | 250.75 |
|  | राजस्थान | दौसा | पत्थरकीनक्काशी | हस्तशिल्प | 110.50 |
|  | तमिलनाडु | तिरुपुर | कंगयमखादी | खादी | 130.5 |
|  | तमिलनाडु | सालेम | सरकारस्टील | लकड़ीकासामान | 142.85 |
|  | तमिलनाडु | सलेम | सलेम | कयरफर्नीचर | 298.91 |
|  | तमिलनाडु | मदुरै | मदुरै | कयरफर्नीचर | 299.72 |
|  | तमिलनाडु | तिरुपुर | पल्लादमबढ़ोतरीबैग | कयरग्रोबैग | 289.9 |
|  | तमिलनाडु | धर्मपुरी | धर्मपुरी | कयरपिथब्लॉक/ग्रोबैग | 148.25 |
|  | तमिलनाडु | कन्याकूमारी | नागरकोइल | कयरउत्पाद | 149.06 |
|  | तमिलनाडु | डिंडीगुल | डिंडीगुल | कयरउत्पाद | 291.62 |
|  | तमिलनाडु | तिरुपुर | कंगायम | कयरउत्पाद | 289.19 |
|  | तमिलनाडु | थिरूनेलवेल्ली | तीनाक्षी | कयरउत्पाद | 273.71 |
|  | तमिलनाडु | कोयंबटूर | पोलाची | रबराइज्डकयर | 662.24 |
|  | तेलंगाना | वारंगल | पेमबार्थी मेटलवेयर | हस्तशिल्प | 149.96 |
|  | तेलंगाना | महबूबनगर | मोथकुरइकत | हथकरघा | 143.38 |
|  | तेलंगाना | लीजा | गडवाल | हथकरघा | 198.55 |
|  | त्रिपुरा | पश्चिमत्रिपुरा | बांसउपयोगिता | बांस | 272.21 |
|  | उत्तरप्रदेश | भदोही- संतरविदासनगर | हस्तनिर्मित कालीन | हस्तशिल्प | 130.5 |
|  | उत्तरप्रदेश | देवरिया | क्रोचियाक्लस्टर | हस्तशिल्प | 101.87 |
|  | उत्तरप्रदेश | मिर्जापुर | कालीनबुनाई | हस्तशिल्प | 112.17 |
|  | उत्तरप्रदेश | आजमगढ़ | माउपोटरी | हस्तशिल्प | 121.43 |
|  | उत्तरप्रदेश | चित्रकूट | हर्बलउत्पाद | अन्य | 245.25 |
|  | उत्तरप्रदेश | सुल्तानपुर | बरौलियाऔषधीयसंयंत्रक्लस्टर | अन्य | 225.20 |
|  | उत्तराखंड | देहरादून | एपेनआर्टक्लस्टर | हस्तशिल्प | 103.39 |
|  | पश्चिमबंगाल | मुर्शिदाबाद | मुस्लिनऔरअन्यखादी | खादी | 192.50 |
|  | कुल |  |  |  | 13817.92 |

दिनांक 29.05.2018 को स्फूर्ति की 26वीं एसएससी में प्रस्तुत अनुमोदित डीपीआर की राज्यवार सूची

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **जिला** | **टीए** | **उत्पाद** | **प्रस्तावित वित्तीय सहायता (लाख रु. में)** |
| 1 | जम्मूऔरकश्मीर | बारामुल्ला (पत्तन) | शिल्पविकाससंस्थान | बुनाईऔरकढ़ाई | 248.37 |
| 2 | जम्मूऔरकश्मीर | पुलवामा (पंपौर) | शिल्पविकाससंस्थान | होजरीक्लस्टर | 216.46 |
| 3 | जम्मूऔरकश्मीर | किश्तवार | सेंटरफॉरस्किलडेवलपमेंटजम्मू | आवश्यकतेल | 196 |
| 4 | कर्नाटक | हसन (जवागल) | एमएसएमईफाउंडेशन | कयरउत्पाद | 147.21 |
| 5 | कर्नाटक | हसन (गुडकानहल्ली) | एमएसएमईफाउंडेशन | कयरउत्पाद | 143.43 |
| **6** | ओडिशा | जजपुर (हरिपुर) | एफएमसी | परंपरागतपोशाक | **119.17** |
| **7** | ओडिशा | मयूरभंज (उडाला) | एफएमसी | सालकीपत्तीऔरशहद | **139.80** |
| 8 | पंजाब | लुधियाना (दोराहा) | एमएसएमई (एफएमसी) केलिएफाउंडेशन | शहद | 150.00 |
| 9 | तमिलनाडु | कृष्णागिरी | सीपीजीपीपीआई, चेन्नई | पामगुरऔरपामउत्पाद | 149.84 |
| 10 | तमिलनाडु | कृष्णागिरी | आईटीसीओटीचेन्नई | कयरउत्पाद | 286.96 |
| 11 | उत्तरप्रदेश | आजमगढ़ | ईडीआई, अहमदाबाद | मिट्टीकेबर्तन | 111.65 |
| 12 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ (चिनहाट) | सीबीआरटीआईपुणे | खाद्यप्रसंस्करण | 112.77 |